

विषय :

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

का विभाग

—00—

1. पंजी 1645/2015/दो/सी-1 दिनांक 27.03.2015
2. पंजी 1986/2015/दो/सी-1 दिनांक 17.03.2015

—00—

विचाराधीन पत्रों का कृपया अवलोकन करें।

विचाराधीन पत्र-1

सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र दिनांक 24.03.2015 द्वारा श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, संचालक, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना विरुद्ध मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में गोविन्द द्विवेदी एवं एस.के.शर्मा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट सतना ने एडीजी के पत्र दिनांक 26.11.2014 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी के लायसेंस बाबत आवेदन पत्र में अनुशंसा नहीं किये जाने के कारण आवेदन पत्र अमान्य किया गया है।

विचाराधीन पत्र-2

श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, संचालक, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना से प्राप्त अपील दिनांक 27.3.2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

उपरोक्त अपील नियंत्रण प्राधिकारी अति. पुलिस महानिदेशक (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी), भोपाल के आदेश दिनांक 26.11.2015 द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी के लायसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य किये जाने से दुखित एवं असंतुष्ट होकर उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है।

1645/2015/दो/सी-1

p 1-5/c
p 6-13/c

p 6-13/c

विषय :

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रिग्युलेशन)
एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी
सर्विस, सतना।

का विभाग

---00---

पूर्व पृष्ठ से -

यदि मान्य हो तो सा.प्र.वि. से प्राप्त पत्र तथा अपील की
छायाप्रति अति. पुलिस महानिदेशक, (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल
एवं निजी सुरक्षा एजेंसी), भोपाल, नियंत्रण प्राधिकारी को भेजकर
विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

तदनुसार भेजे जाने हेतु पत्र का प्रारूप मय स्वच्छ प्रतियों के
अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

~~अ.अ.~~~~अ.स.~~

[Signature]
29-5-2015

[Signature]
29/5/15

[Signature]
29/5/15

[Signature]
29-5-15

21/5/2015

50.00-x

जावक नं० 2616...../सी-1/गृह

दिनांक ... 02/06/15.....

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन)
एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी
सर्विस, सतना।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :- ~~पंजीकरण~~ 2886 दिनांक 9-6-15

P-15-18/2

विचाराधीन पत्र विभागीय पत्र दिनांक 04.06.2015 के संदर्भ में
कृपया अवलोकन हों।

P-14/2

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा ने विश्वकर्मा सिक्युरिटी
सर्विस की अपील दिनांक 27.08.2015 वा बिन्दुवार अभिमत निम्नानुसार
प्रस्तुत किया गया है :-

P-1-13/2

1. अपीलार्थी द्वारा सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से अनुज्ञप्ति
दिनांक 23.01.1988 प्राप्त कर सिक्युरिटी सर्विस का संचालन किया जा
रहा था। निजी सुरक्षा एजेंसी के कारोबार करने के लिये निजी सुरक्षा
एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रक अधिकारी से
लायसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है। निजी सुरक्षा एजेंसी का
संचालन किया जाना अवैधानिक कृत्य है। जिससे स्पष्ट है कि उनके
द्वारा अवैध रूप से एजेंसी का संचालन किया जा रहा था।

2. अपीलार्थी का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है, म0प्र0 दुकान एवं
स्थापना अधिनियम के पंजीयन एवं इन्कम टैक्स, बीमा आदि की
औपचारिकता के आधार पर वह सुरक्षा एजेंसी का संचालन कर सकता
है, यह तर्क आधारहीन एवं विधि अनुकूल नहीं है।

3. अपीलार्थी ने निर्धारित फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया
था, परन्तु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से एजेंसी के कारोबार की
पात्रता नहीं बनती है। अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधीक्षक का
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक,
सतना से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी का
आवेदन पत्र अमान्य किया गया है।

4. पुलिस अधीक्षक, सतना से अनुशंसा नहीं किये जाने के कारण
अपीलार्थी का प्रकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा अमान्य किया जाकर आवेदक
को सूचित किया गया था। अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधान

विषय: अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

—00—

पूर्व पृष्ठ से :-

अनुसार नियंत्रक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सचिव, गृह को अपील की जा सकती है। इस कारण अपीलार्थी के वकील द्वारा दिये गये कानूनी नोटिस पर कार्यवाही नहीं की गयी। आवेदक के आवेदन पत्र पर पुनर्विचार आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2014 पर कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं था। अपीलार्थी द्वारा लगातार अवैध रूप से निजी सुरक्षा एजेंसी का संचालन किया जा रहा था। उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, सतना को पत्र दिनांक 11.12.2014 द्वारा वैधानिक कार्यवाही किये जाने का लेख किया गया। जांच उपरान्त अपीलार्थी के विरुद्ध थाना कोलगावां में इशतगासा क्रमांक 572 धारा 4/20 निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत तैयार किया जाकर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना के समक्ष दिनांक 10.03.2015 को प्रस्तुत किया गया।

5. अपीलार्थी का यह तर्क आधारहीन है कि उनका आवेदन पत्र अमान्य किये जाने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत एवं दुर्भावनापूर्ण है। चूंकि अपीलार्थी ने स्वयं बिन्दु क्रमांक-1 में स्वीकार किया है कि बिना लायसेंस प्राप्त किये एजेंसी का संचालन कर रहा है।

6. अपीलार्थी का यह तर्क आधारहीन एवं बेबुनियाद है। अपीलार्थी के उक्त तर्क से स्पष्ट होता है कि वह किसी प्रकार के नियम/प्रक्रिया को समझना नहीं चाहता है एवं मनमाने तरीके से एजेंसी का संचालन करना चाहता है। उसके द्वारा अवैध रूप से एजेंसी के संचालन किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से :-

अधीक्षक द्वारा विधिवत जांच के बाद इस्तगासा प्रस्तुत किया गया जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं विधि सम्मत है, इसमें अपीलार्थी को प्रताड़ित किये जाने का तथ्य निराधार है।

अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत।

अ०अ०

अ०स०

उप सचिव

अ०अ०
10/8/15

10/8/15

S. S. (P)

28/8/15 at 13:30

12/8

S. S.

S. S.

12/8

अ०अ०
12/8/15

रामचंद्रानी

निर्देशानुसार अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी करने हेतु पत्र 290 पत्रियों से 12/8/15 प्रेषित।

अ.अ.
अवर सचिव

12/8

अ०अ०
12/8/15

12/8/15

रामचंद्रानी

वाक नं. 4/50/5/115

दिनांक 12/8/2015

अ०अ०
12/8/15

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस
(रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा,
विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से :-

अपील सुनवाई हेतु नरती
प्रस्तुत है।

अ.अ.

अ.अ.

सचिव

सुनवाई में उपस्थित

28/8/15

अ.अ.
27-8-15

27/8/15

YRmm
27/8

US(B)

S.D.C. x

सुनवाई में
उपस्थित
गुददीलाल
विश्वकर्मा

28/8/15

अ.अ.
28-8-15

28/8/15

रामचंद्रानी

उपस्थित - 2 सचिव

विषय :

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रिग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से

अपील आदेश का प्राप्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अ.अ.

उप सचिव

अ.अ.

30-11-2015

Secretary

app's

2-12-15

10/12/15

DS/5

Sec.

11-12-15

अ.अ.

11-12-15

रजिस्ट्रार

उपरोक्तानुसार अपील आदेश की-

290 प्रतियां दस्तावेज प्रदान

अ.अ.

उप सचिव

अ.अ.

15-12-15

सचिव (अ)

15/12

15/12/15

DS/5

16-12-15

रजिस्ट्रार

Sec.

अ.अ.

17-12-15

4224/SM(9)15
11/12
16/12

GRmm
30/11/15

GRmm
15/12

अ.अ. 6414/15/15

अ.अ. 17-12-2015

आर 1986/2015/दो/सी-1

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिव्युरिटी एजेंसीस
(रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा,
विश्वकर्मा सिव्युरिटी सर्विस, सतना। (रिट पिटी. क.
579/2016 वि० शासन)

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से :-

पंजी क.1185/2016/दो/सी-एक्स
दिनांक 29.02.2016

—00—

P-32/c

विशेष पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल
एवं निजी सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त टीप दिनांक 27.02.2016 का
कृपया अवलोकन करें।

P-32/c

श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिव्युरिटी सर्विस,
सतना द्वारा रिट पिटी. क. 579/2016 वि० शासन माननीय उच्च
न्यायालय जबलपुर में दायर की गयी है।

उपरोक्त याचिका क. 579/2016 में विशेष पुलिस
महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा
एजेंसी, भोपाल ने आदेश दिनांक 27.02.2016 द्वारा प्रकरण में
श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, (राज्य औद्योगिक
सुरक्षा बल) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रतिरक्षण आदेश
जारी करने का अनुरोध किया गया है।

P-32-119/c

दृष्टांत 'क्ष'

अतः याचिका क. 579/2016 में प्रतिरक्षण आदेश जारी
करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अ०अ०

अ०अ०

उप. नि. वि. (A-Z)

OIC का शासनादेश जारी

अवर कनिष्ठ (क) प्र. रज.

500-*

अ०अ०
2-3-2016Sohel
2-3-16Sohel
3-3-16Sohel
3-3-16J.Ram
2/3/16

10

आर 1986/2015/दो/सी-1

छन्वीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना। (रिट पिटी. क. 579/2016 वि० शासन)

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से :-

पूर्व पृष्ठ पर निर्देशानुसार

प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश
की १-१० प्रतियां अनुमोदनार्थ / ६२-०१०
प्रस्तुत।

अ.अ.

अवर सचिव

जारी पूर्व कृपया

अ.अ.
5-3-16

प्रवर्तन करा जायेगा

उपस्थित

अ.अ.
5-3-16

अ.अ.
5-3-16

अ.अ.
5-3-16

D/समन्वयनी

अ.अ.
5-3-2016

बाबत क्र. 1162, 63.../१-1

दिनांक 08/03/16

हज्बोस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुददीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना। (रिट पिटी. क. 579/2016 वि० शासन)

का विभाग

—00—

पूर्व पृष्ठ से :-

पत्र में प्रभारी अधिकारी के आदेश जारी किये जा चुके हैं/प्रतिरक्षण आदेश प्राप्त करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंतिम करना पाड़ेगे।

द्वारा 'क'

17/57

अ.अ.

अवर-सचिव

उप सचिव

महाराष्ट्र
9-3-2016

8/8
9.3.16

अवर सचिव (वि०)

3-16
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (सी) विभाग
प्रशासन, भोपाल.

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रतिनस्ती पर रखी है।

(अमितानु मिश्र)
अति-सचिव
विधि विभाग

गृह विभाग

10/10/16 को ज्ञान
14/03/16

YRmm
9/3/16

780/DSH(35)
14/03/16

माधव

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 15106/2016

WP/579/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

for adm

Fixed for 08-03-2016

WP-DA-22

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Secretary Home Affairs Department Vallabh
Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 29-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 579/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Guddilal Vishwakarma** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/579/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

Your faithfully




DEPUTY REGISTRAR

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 15107/2016

WP/579/2016

for adm

Fixed for 08-03-2016

WP-DA-22

Respondent No. 2

From

Kishore Pithawe

Deputy Registrar,

High Court of Judicature

at Jabalpur

306
23/2/16

To,

Additional Director General Of Police State

Industrial Security Force And Private

Security Agency And Control Authority,

Dist. Bhopal,,

District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 29-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 579/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Guddilal Vishwakarma** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/579/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

~~SPL-DG-SISP/PSA~~
DSP-PSA
Mallikar 24/2

Your faithfully

30/1/16

DEPUTY REGISTRAR

AS1(m) PSA
कावयक
कायवाही को
24/2/16

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय
वल्लभ-भवन, भोपाल
// आदेश //


भोपाल, दिनांक 08 मार्च, 2016

क्रमांक / 1162/1986/2015/दो/सी-1 राज्य शासन एतद द्वारा प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1988 का अधिनियम संख्यांक 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, भोपाल को (पक्षकारों के नाम) रिट याचिका क्रमांक 579/2016 श्री गुडडीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्यूरिटी सर्विस विरुद्ध म0प्र0 शासन में म0प्र0 राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवाचनों पर हस्ताक्षर करने और उपसंज्ञात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी शीति में जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेंगे जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा, यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग में से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जावेगी।
2. समस्त संसगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से निम्नलिखित कथन/उत्तर करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेंगे :-
(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
(ग) प्रस्तावित दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है/थी और जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित की गयी है/थी।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत कराना।
8. जब कोई आदेश/म0प्र0 राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
10. यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नहीं हो।

11. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तब शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देना व वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता।
12. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा और इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाय।
13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजन अधिकारी मुकर्रर है वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है। परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को भेजेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जावे और रिपोर्ट के साथ भेजी जाय।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि वह इन मामलों में किन्हीं वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षित है, समय पर कार्यवाही की गयी है, अतएव वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जाय, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को आपेक्षित करें।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(श्रीदास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ. क./ 1163/1986/2015/दो-सी-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 08 मार्च, 2016

1. सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, भोपाल (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख के साथ शासकीय अधिवक्ता से तत्काल संपर्क स्थापित कर मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में वादोत्तर प्रस्तुत करें, कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करे।


अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग